

“सभी सामान अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण.— इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री-शैवाल अर्क आधारित जैव-उद्दीपक (बायो-स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।”;

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

“272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर”;
--------	------	---------------------------

(ख) अनुसूची II - 9% में, क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप”।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 641 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 01/2026- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा सा.का.नि. संख्या 328 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के माध्यम से किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

No. 02/2026- Central Tax (Rate)

G.S.R. 921(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025 - Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025, namely: -

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%,

- (i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -
“All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled.

Explanation. – This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.”;

- (ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“272A.	4012	Retreaded tractor tyres”;
--------	------	---------------------------

- (b) in Schedule II – 9%, against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
“Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[F. No. CBIC-190354/142/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 09/2025-Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025 and was last amended *vide* Notification No. 01/2026-Central Tax (Rate) dated the 30th April, 2026 *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

सं. 02/2026- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 922(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा

(1) तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 642 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 5% में,

- (i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“सभी सामान अर्थात् पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबल युक्त।